

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,

निर्वाचन सदन, प्लाट नं. 17, पंचकूला हरियाणा-134109

Website : www.secharyana.gov.in

Phone No. +91 172 258 4810

Email id : sec@hry.nic.in

Fax No. : +91 172 258 5904

क्रमांक रा0नि0आ0/2-लेखा/2018/1431-37

दिनांक 28.11.2018

सेवा में,

उपायुक्त, हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत, यमुना नगर, फतेहाबाद एवं कैथल।

विषय:- नगर निगम/नगर पालिकाओं के आम चुनाव, 2018 के दौरान किये जाने वाले खर्च से सम्बन्धित हिदायतें।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. आपको सूचित किया जाता है कि नगर निगम/नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2018 को करवाये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.11.2018 द्वारा जारी की गई है। आपको नगर निगम/नगरपालिकाओं के चुनाव के दौरान नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय/रिफ़ैशमेंट, स्टेशनरी/चुनाव सामग्री की खरीद, टैट्टेज, विडियोग्राफी, बैरीकेडिंग, बसों के किराये अन्य फुट कर खर्च इत्यादि के लिए आयोग द्वारा चुनाव मद तथा पी.ओ.एल. मद में राशि अलाट की जाती है।

3. इसके अतिरिक्त नगर निगम/नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2018 में विभिन्न खर्च जैसाकि चुनाव मद (मानदेय/रिफ़ैशमेंट, चुनाव सामग्री की खरीद, टैट्टेज, बस किराया अन्य फुट कर खर्च इत्यादि) पी.ओ.एल. (सरकारी गाडियों, बसों में पट्रोल/डीजल का खर्च) आयोग द्वारा समय-2 जारी हिदायतों अनुसार/पीली पुस्तिका में वर्णित हिदायतों के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाये:-

1. टैट्टेज की व्यवस्था के लिए हिदायतें

- रिहर्सल, सामान वितरण, सामान वापसी, मतगणना रिहर्सल, तथा मतगणना के लिये सरकारी इमारतों (कम्यूनिटी सेंटर, पंचायत भवन, स्कूल/कालेज हाल, अनाज मण्डी शैड इत्यादि) का इस्तेमाल किया जाये। अगर उपरोक्त भवन उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में टैट्टेज की व्यवस्था की जाए।
- प्रत्येक नगरनिगम/नगरपालिका आदि के कुल पोलिंग बूथों की संख्या को 4 से गुणा करके उसमें 5 प्रतिशत रिजर्व स्टाफ तथा रिहर्सल करवाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के स्टाफ को जोड़ कर कुर्सियों की गणना की जाए तथा केवल साधारण कुर्सियां ही किराये पर ली जाएं तथा पीली पुस्तिका में वर्णित निर्देशानुसार ही टैट्टेज लगवाये जाएं।
- मतगणना/चुनाव सामग्री के आंबटन कार्य की आवश्यकता के अनुसार मेजों की गणना करके किराये पर ली जाए।
- लाईट प्रबंध केवल मतदान उपरान्त सामान वापसी तथा मतगणना वाले दिन के लिये ही आवश्यक होता है अतः तदानुसार ही लाईट/जनरेटर आदि की व्यवस्था की जाए। यदि कार्यालय में देर रात तक कार्य करना आवश्यक हो और उचित प्रकाश व्यवस्था न हो तो केवल गैस किराये पर ली जाएं। केवल न्यूनतम आवश्यकता अनुसार ही प्रबंध किया जाए।
- उपायुक्त द्वारा निर्धारित की गई दरों अथवा निविदाएं प्राप्त करके, जो भी कम हो, के आधार पर ही टैट्टेज का सामान किराये पर लिया जाए। किराये की अदायगी भी एक दिन अर्थात् 24 घण्टे प्रयोग किए गए सामान की ही की जाए।
- टैट्टेज इत्यादि के बारे में पीली पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर वर्णित हिदायतों की पालना की जाए।

2. मतदाता सूचियों के खर्च बिलों का निपटान :-

नगरनिगम/नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियों की छपवाई का कार्य समाप्त हो चुका है। मतदाता सूचियों की छपवाई पर खर्च राशि के बिलों को आयोग की हिदायतों के अनुसार छपवाई गई मतदाता सूचियों के बिलों को स्थानीय आडिट अधिकारी (Resident Audit Officer)/अनुभाग अधिकारी से चेक करवाकर सत्यापित की गई राशि की अदायगी की जाए।

3. **बैरीकेडिंग**
बैरीकेडिंग केवल मतदान केन्द्र/मतगणना वाले स्थान पर अस्थाई तौर पर बल्लियाँ/बांस/पाईप/रस्सी आदि किराये पर लेकर बनाई जाए। अति संवेदनशील/संवेदनशील बूथों पर, यदि परिहार्य कारणों से बैरीकेडिंग के लिये ईट, सीमेंट, लोहे की जाली आदि से पक्का निर्माण करना आवश्यक हो तो आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

4. **विडियोग्राफी**
केवल अति संवेदनशील/संवेदनशील बूथों की विडियोग्राफी कराई जाए। सामान्यतः 5 प्रतिशत बूथों की विडियोग्राफी करवाई जाए। यदि इससे अधिक बूथों की विडियोग्राफी करवाई जानी आवश्यक हो तो इसकी पूर्व अनुमति आयोग से प्राप्त की जाए। विडियोग्राफी के किराये की अदायगी भी एक दिन (अर्थात् 24 घण्टे) की जाए।

5. डीजल के खर्च पोलिंग पार्टी हेतु एवं सैक्टर मजिस्ट्रेट/सुपरवाइजर्स द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली गाड़ियों का किराया/डीजल आदि के लिए हिदायतें -पोलिंग पार्टियों व अधिकारियों के लिये वाहन किराये पर लेना

- पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों पर भेजने व वापिस लाने के लिये प्राइवेट बस, ट्रक, कैंटर, जो भी उपलब्ध हो आदि को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर किराये पर लिया जाए।
- प्रत्येक 52 सीटर बस में 7 पोलिंग पार्टियां, मिनी बस में 5 पोलिंग पार्टियां तथा कैंटर व ट्रक में कम से कम 6 पोलिंग पार्टियां भेजी जाएं। पोलिंग बूथों की संख्या/पोलिंग पार्टियों के आधार पर ही वाहन किराये पर लिये जाएं।
- उक्त वाहनों को केवल दो दिन के लिये ही किराये पर लिया जाए। पोलिंग पार्टियों को मतदान केन्द्रों पर छोड़ने/वापिस लाने के लिए निर्धारित वाहनों का प्रयोग किया जाये।
- वाहनों में तेल तय की गई दूरी के हिसाब से ही डलवाया जाये। यदि किसी वाहन में आवश्यकता से अधिक तेल डलवाया गया है तो उसकी कटौती वाहन किराये में से कर ली जाए।
- वाहनों में तेल परिवहन आयुक्त, हरियाणा द्वारा प्रत्येक वाहन के लिये तय की गई माईलेज के हिसाब से ही डलवाया जाए।
- किराये पर लिये गये वाहनों की लागत बुक पूर्ण रूप से भरवाकर तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी से सत्यापित करवाकर फोटो प्रतियां कार्यालय रिकार्ड में रखी जाए।
- ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व सुपरवाइजर आदि के लिये जहां तक संभव हो सरकारी वाहन ही उपलब्ध करवाए जाएं और लागत बुक में तय की गई दूरी के अनुसार ही वाहनों में तेल डलवाया जाए तथा लॉग बुक की सत्यापित प्रतियां रिकार्ड में रखी जाएं।
- चूंकि आजकल सम्पर्क साधन सुलभ व पर्याप्त मात्रा में होने के कारण हर समय आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध किए जा सकते हैं। अतः कम से कम वाहन रिजर्व में रखे जाएं।
- आयोग के पंचकूला स्थित मुख्यालय व अन्य कार्यालयों से चुनाव सामग्री लाने व ले जाने के लिये सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों के वाहनों का ही प्रयोग किया जाए और उनमें तय की गई दूरी के अनुसार ही तेल डलवाया जाए।

6. **चुनाव सामग्री की खरीद के लिए हिदायतें**

आयोग के पत्र क्रमांक रा0नि0आ0/स्टोर/2018/5336-40, दिनांक 16.10.

2018, जोकि आपको सम्बोधित है, के अनुसार नगरनिगम/नगरपालिका के आम चुनाव-2018 में प्रयोग हेतु पोलिंग बूथों की संख्या अनुसार अपने स्तर पर तीन राजपत्रित अधिकारियों की कमेटी गठित करके निर्धारित प्रक्रिया व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए पीली पुस्तक के पृष्ठ 5 के अनुसार गणना करके समय पर खरीद कर ली जाए।

नोट:- यहां पर उल्लेख किया जाता है कि सरकार द्वारा **Black List** की गई फर्मों से चुनाव सामग्री की खरीद न की जाये।

7. **मानदेय एव जलपान हेतु हिदायतें :-**

आप द्वारा निर्धारित किये गये पोलिंग बूथों की संख्या के आधार पर 1+3=4(1 पीठासीन अधिकारी + 3 पोलिंग अधिकारी) तथा 5 प्रतिशत रिजर्व स्टाफ (पोलिंग/मतगणना) को आयोग के पत्र क्रमांक SEC/1-Acctt/2015/1915-56, dated 03-09-2015 में दी गई दरों तथा क्रमांक SEC/2-Acctt/2014/607-627, dated 26-08-2014, क्रमांक रा0नि0आ0/2-लेखा/2017/992-1013 दिनांक 02.08.2017 अनुसार **EPS** के माध्यम से अदायगी की जाए। (रिफ्रेशमेंट राशि 150/-रु0 मतदान के दिन) केवल एक दिन के लिए गणना की जाए।

रिजर्व स्टाफ 5 प्रतिशत के हिसाब से रखा जाए।

कृपया चुनाव में लगाये जाने वाले सभी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट/यूनिक कोड इत्यादि रिहर्सल के समय या चुनाव ड्यूटी से पूर्व प्राप्त करना सुनिश्चित करें।


8. चुनाव सम्पन्न होने के उपरान्त चुनाव मद, पी.ओ.एल. मद में, यदि कोई अतिरिक्त राशि की मांग हो तो उसकी अलग-2 डिटेल बनाकर राशि को स्थानीय आडिटर अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से सत्यापित करवाकर वास्तविक राशि की मांग अविलम्ब आयोग को भिजवाई जाए। बिना तसदीक के किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. चुनाव सामग्री वितरण/प्राप्त करने के लिए तथा मतगणना के लिए आवश्यकतानुसार कम से कम स्टाफ नियुक्त किया जायें तथा रिजर्व स्टाफ से चुनाव सामग्री वितरण में सहायता प्राप्त की जाए।

10 आयोग के पत्र क्रमांक SEC/1-Acctt/2015/1915-56, dated 03-09-2015 के पृष्ठांकन क्रमांक के बिन्दू 3 अनुसार उक्त आम चुनाव 2018 के दौरान नियुक्त ई0वी0एम. टैनों को हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित T.A. Rules के अनुसार टी0ए0/डी0ए0 की अदायगी की जानी है। इसके अतिरिक्त पत्र SEC/1-Acctt/2015/866-931, dated 10-06-2015 के अनुसार टी0ए0/डी0ए0 की अदायगी अपने पैतृक विभाग से की जानी है।


11. यदि किसी भी हिदायत बारे स्थिति स्पष्ट न हो तो आयोग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाए।

नोट:- अधिक जानकारी के लिए आयोग की website www.secharyana.gov.in-Useful Information-Accounts पर देखें।


सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पुं0 क्रमांक रा0नि0आ0/2-लेखा/2018/1438-44 दिनांक 28.11.2018
इसकी एक-2 प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. आयुक्त, नगरनिगम, हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत एवं यमुनानगर।
2. सचिव, नगरपालिका जाखल मण्डी, जिला फतेहाबाद।
3. सचिव, नगरपालिका, पूण्डरी, जिला कैथल।


सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।